फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 44/2023

श्री चांदमल पिता भोनूराम बनाम श्री श्याम कंवर पत्नी शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बरं व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
20/6/2023 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 01 R10 CPC प्रा0पत्र प्रस्तुत किया प्रस्तुत प्रा0पत्र Not Press जाता है।	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप0 अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 की तामील बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी को विधिवत रूप तीन–तीन बार रूक–रूक कर आवाजे लगवाई गई परन्तु अप्रार्थी की और से कोई उपस्थित नही ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रकरण मौका रिपोर्ट बाबत तहसीलदार को दिनांक 23.05.2023 को पत्र जारी किया गया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ द्वारा अपने पत्रांक 177 दिनांक 09.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा.फा.। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रा. पत्र. अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 दिनांक 18. 05.2023 को पेश किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त प्रा0पत्र को आदेशिका पर विड्रो कर लिया जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी वकील के निवेदन को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रा0पत्र को विड्रो किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक तरफा बहरा सूनी गई एवं पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । जिसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251(ए) संशोधित धारा 2010 राज.का.अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. फा. पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)	